न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 196 / 2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–मांगीलाल पुत्र लाभुराम जाति जाट 2–पुरखाराम पुत्र भूराराम जाति जाट 3–घमूराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट 4–भंवरसिह पुत्र शिवनाथसिह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का आमला तहसील लोहावट, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–6–2018 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 164 / 2018 अनवान सरकार बनाम मांगीलाल वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री बांकाराम चौधरी, सुरेश कुमार सैन अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2–श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–7–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 तहसीलदार लोहावट की ओर से राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के निराकरण हेतु चलाये गये रास्ता अभियान 2016 जिसमे ग्राम कल्याणपुरा पटवार मण्डल आमला तहसील लोहावट के खसरा नंबरान 561 / 4, 557 / 7, 557 / 3, 557 / 5, 563, 563, 583 / 1, 583, 583, 563 / 1, 563 / 2, 571 / 1, 581 / 1, 570, 581, 577, 579 / 1, 579, 579 / 2 कुल 19 खसरान मे से कुल 10 बीघा भूमि पर मौके पर चल रहे कदीमी रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अंकन करवाने हेतु प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रेषित किया गया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्तावित खसरा नंबरान एवं उनके आगे अंकित रकबा 10 बीघा भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता के रूप मे दर्ज करने तथा नक्शा लट्ठा ट्रेस मे दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश दिनांक 11–6–2018 को तहसीलदार लोहावट को पारित कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

28/7/2021
अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही खातेदारान की खातेदारी की भूमि मे से सीधे रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश

पारित कर दिया, जिससे अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान नही किया गया इसलिए अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत एवं धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्यायिक परिभाषा मे नही आता है क्योकि बिना खातेदारो की सहमति के उनके खातेदारी की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता मे दर्ज नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अवैद्यानिक होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मे वर्णित उपरोक्त खसरान की भूमि मे से किसी प्रकार का कोइ कदीमी रास्ता पहले कभी नही था परंतु पटवारी हल्का ने फर्जी मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौका निरीक्षण एवं जांच करवाये जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है ऐसा आदेश धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये पारित किया ही नही जा सकता था तथा यह भी कथन किया कि किसी निजी खातेदारी की भूमि को गैर मुमकीन रास्ते मे दर्ज करने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रथक से प्रावधान दिये हुए है जिसके तहत कोई कार्यवाही नही कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–6–2018 को अपास्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार लोहावट ने उनके अधीन ऐसे कदीमीं/चालू रास्ते जो मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग मे आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर, रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रही भूमि पटवार मण्डल आमला ग्राम कल्याण पुरा के कुल 19 खसरो की प्रस्तावित 10 बीघा भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय मे उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष प्रेषित किया जाने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–6–2018 का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलाधीन आदेश पारित करने के संबंध मे अपनाई की प्रकिया आदि का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि तहसीलदार लोहावट ने ग्राम कल्याणपुरा पटवार मण्डल आमला के अपील मे वर्णित कुल 19 खसरान मे से निजी खातेदारो की भूमि मे चल रहे चालू रास्ते जो आवागमन के काम आ रहे है परंतु अभी तक खातेदारो

की खातेदारी मे चली आ रही है, उनका राज्य सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने का प्रस्ताव प्रेषित किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मे वर्णित रकबे की भूमि का राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर किसी भी खातेदार को बिना सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये सीधे ही उनके खातेदारी मे से प्रस्तावित रकबा कम करते हुए गै0मु0रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि किसी भी खातेदार के खातेदारी के रकबे मे कमी–बेशी करने से पूर्व खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी पालना किये बिना जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–6–2018 पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया हुआ होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–6–2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लोहावट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटगण की उपस्थिति मे उनके खातेदारी के खेत मे से चल रहे कदीमी/चालू रास्ते का मौका निरीक्षण कर, उसे सुनकर यदि उसके खातेदारी के खसरा नंबरान मे से रास्ता चालू है तथा आवागमन के उपयोग मे आ रहा है तो उसे बंद किये बिना उसका नये सिरे से प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित करे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी उसके अनुरूप पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 28–7–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर